

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
(574 साउथ सिविल लाईन्स)

॥ आदेश ॥


क.फा.नं. 07 / स्था / राविसेप्रा / ४५६ / 2022

जबलपुर, दिनांक / 05 / 2022

म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 342, दिनांक 21.04.2022 के सरल क्रमांक 07 के कर्मचारी कु0 नीतू ठाकुर, आदेश तामीलकर्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर, के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश प्रशासकीय आधार से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

कु0 नीतू ठाकुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्थानान्तरण आदेश के तारतम्य में अपने कार्यस्थल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर से कार्यमुक्त हो चुकी हैं, जिन्हें निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश निरस्त किए जाने के कारण वह अपनी पूर्व पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों ।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार



(राजीव कर्महे)
सदस्य-सचिव

पृ.क.फा.नं. 07 / स्था / राविसेप्रा / ४५६ / 2022

जबलपुर, दिनांक (०५ / 05 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर एवं छिंदवाड़ा, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. कु0 नीतू ठाकुर, आदेश तामीलकर्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर, की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
5. स्थापना शाखा, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. आई.टी. अनुभाग म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु ।


(राजीव कर्महे)
सदस्य सचिव